

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

अपील एल0 आर0 संख्या 45/2016 (2016/00172)

मोहन पुत्र हजारी जाति मेहरात निवासी रतनपुरा सरदारा तहसील ब्यावर जिला अजमेरअपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपरिथत:-

- 1 श्री अजीतसिंह राठौड
2. श्री हेमराज राठौड

अभिभाषक अपीलान्ट
राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक 29.01.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सवंत 2073 में ग्राम रतनपुरा सरदारा तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0सं0 332/1261 कुल रकबा 5-0-0 बीघा किस्म खेल मैदान में से रकबा 00-05-00 बीघा भूमि पर पक्की चार दिवारी बनाकर कब्जा किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ब्यावर द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 175/2016 दर्ज कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.09.2016 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी को विवादित सिवाय चक भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 20.09.2016 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम रतनपुरा सरदारा पटवार हल्का फतेहपुरिया दोगम तहसील ब्यावर के आधार जमाबन्दी के खसरा नं0 332/1226 रकबा 33-7-10 बीघा किस्म बारानी दोगम कॉलम संख्या 03 के अनुसार भूमि धारक सरकार व कॉलम संख्या 04 के अनुसार आंशिक निवास एवं बस्तियों की अवस्थित भूमि में से जरिये नामान्तरकरण संख्या 442 दिनांक 1.2.2013 को 28-7-10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत नून्त्री मेन्द्रातान के नाम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 में अमल दरामद कर दिया गया। शेष 05-00-00 बीघा सिवाय चक भूमि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश कंमाक कअ/राजस्व/एफ/12 (सी)/09/93 दिनांक 10.8.2009 के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रतनपुरा सरदारा के स्कूल खेल मैदान हेतु आवंटित की गई। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 332/1226 के मध्य भाग से उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य सडक मार्ग अवस्थित है जो ब्यावर से चांग मुख्य सडक में शामिल होता है। उक्त

At Sharma

जिला कलक्टर
अजमेर

मार्ग ग्राम की आबादी के मध्य से गुजरकर दक्षिण में रेल्वे ट्रेक तक जाता है। उक्त मध्य में अवस्थित मार्ग की पश्चिमी सीमा पर लगते हुए ग्राम की आबादी के मध्य में स्कूल भवन तथा इसके पश्चिमी दिशा में खसरा नं० 332 की खाली भूमि अवस्थित है। उक्त खाली भूमि में स्कूल के खेल मैदान हेतु तरमीम नहीं की जाकर आवंटन आदेश के लगभग 4 वर्ष पश्चात वादग्रस्त भूमि के मध्य में अवस्थित सडक मार्ग जो उत्तर दिशा में जाकर ब्यावर से चांग मुख्य सडक मार्ग में सम्मिलित होता है के कोने पर अर्थात् खसरा नं० 332/1226 की उत्तरी पूर्वी कोने पर खेल मैदान की तरमीम कर दी गई। इसके पश्चिम में ग्राम की आबादी के मध्य से गुजरता हुआ, तथा उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता हुआ ब्यावर से चांग, मुख्य सडक मार्ग है। यह भू-भाग, स्कूल भवन से काफी दूर है तथा स्कूल भवन से खेल मैदान हेतु तरमीम किये गये भू-भाग पर छात्रों के जाने के लिए ग्राम के मध्य अवस्थित मुख्य सडक मार्ग से होकर गुजरना होगा। त्रुटिपूर्ण रूप से तरमीम किये गये स्थान पर आवंटन के वर्षों पूर्व से ही ग्रामवासियान के मकान एवं बाड़े बने हुए हैं। जिनमें श्रीमती सीता पत्नि बिरदा जो कि बी.पी.एल विधवा महिला है के द्वारा पति की मिल मजदूरी के निजी फण्ड से मिली ऋण राशि से सन् 1990 में इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्मित मकान भी है जिस पर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर पांच महिलाओं के भी वर्षों पुराने मकान मुर्तिब है। बाकी लोगों की कच्ची एवं पक्की बाउन्ड्रीवाल होकर एक-एक कमरे बने हुए हैं। सभी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। बमुश्किल जीविकोपार्जन कर मजदूरी की बचत राशि से उक्त भूमि पर बनाये गये मकानात में निवास कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तरमीम की गई आराजी पर ग्रामवासियान के पक्के मकान मुर्तिब होकर विद्युत कनेक्शन लेकर मय परिवार लोगो के निवास करने बाबत ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार ब्यावर को अवगत करवाते हुए आवंटन आदेश दिनांक 10.8.2009 की पालना में की गई तरमीम को निरस्त कर स्कूल भवन के पश्चिम दिशा में लगती हुई खाली भूमि में स्कूल मैदान की तरमीम किये जाने बाबत निवेदन किया गया। तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 16.9.2015 को मौका देखकर रिपोर्ट जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2015/822 दिनांक 16.9.2015 को उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को प्रेषित की गई। मुताबिक रिपोर्ट तरमीम किये गये स्थान पर ग्राम रतनपुरा सरदारा की आबादी बसी हुई होने व विद्यालय से खेल मैदान की दूरी अधिक होने से ग्रामवासियान द्वारा आवंटित भूमि का स्थान परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी फतेहपुरिया दोगम की रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय के पीछे की ओर रिक्त पडी हुई भूमि जो कि पूर्व में आवंटित खसरा नम्बर का ही भाग है, में खेल मैदान की भूमि का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। रिपोर्ट मय नजरी नक्शा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पत्र दिनांक 31.10.2015 द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर को इस आशय की रिपोर्ट प्रेषित की गई कि तरमीम किये गये स्थान पर पुरानी आबादी बसी होने से ग्रामवासियान की आपत्ति है। इसी खसरा की भूमि स्कूल भवन से लगते हुए पश्चिमी दिशा में रिक्त पडी भूमि में विद्यालय के खेल मैदान हेतु राजस्व मानचित्र में तरमीम किया जा सकता है। किन्तु तहसीलदार ब्यावर द्वारा सभी निवासियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.9.2016 को लगान का 50 गुना जुर्माना एवं बेदखली का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2016, निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

Delana


जिला कलक्टर
अजमेर

उपरिथत राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त की अपील संधारण योग्य नहीं है। मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकार्ड, जमाबन्दी में ग्राम रतनपुरा सरदारा तहसील ब्यावर जिला अजमेर की प्रश्नगत आराजी खेल मैदान दर्ज है। राजकीय सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण स्वीकार भी किया गया है। पारित आक्षेपित आदेश विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। रेकार्ड पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 31.10.2015 एवं संलग्न प्रस्तुत मौका पर्चा, नजरी नक्शा के मुताबिक मौके पर जिस जगह वर्तमान राजस्व मानचित्र में खेल मैदान तरमीम है, उस स्थान पर करीबन 25-30 पुराने पक्के मकान एवं बाड़े बने होकर एक ही समुदाय के लोग निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व मानचित्र में खेल मैदान हेतु तरमीम किये गये स्थान पर खेल मैदान हेतु मौके पर भूमि रिक्त नहीं है। ग्राम रतनपुरा सरदारा के खेल मैदान हेतु प्रस्तावित, आवंटित खेल मैदान के स्थान पर स्कूल के समीप (पीछे की तरफ) खाली जगह है जो कि पूर्व में आवंटित खसरा नम्बर का ही भाग है। जिसमें कुछ भूमि पर सामान्य अतिक्रमण, जो हटाये जाने योग्य है, को छोड़कर शेष सम्पूर्ण भूमि मौके पर रिक्त है। उक्त तरमीम की गई भूमि पर पुरानी आबादी बसी होने से ग्रामवासियान की आपत्ति है कि विद्यालय के पीछे की ओर पड़ी हुई भूमि जो कि पूर्व में आवंटित खसरा नं० का ही भाग है, में विद्यालय के खेल मैदान हेतु भूमि का राजस्व मानचित्र में स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू० अ० निरीक्षक की मौका रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकट तथ्यों पर विवेचन नहीं कर आक्षेपित आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, राजस्व मानचित्र एवं मौका स्थिति की जांच/अवलोकन कर सभी तथ्यों का भली भांति परीक्षण कर नये सिरे से गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर